न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं. 06 प्रवेश दिनांक 25.05.2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1.कैलाश चन्द पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण

2.अशोक कुमार पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण

3.शिवचरण पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण

4.भोलाराम पुत्र बदरी जाति मीना

निवासीयान ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावडा द्वारा ग्राम ढिगावडा के आराजी ख0 नं0 1243 है0 में से रकबा 0.13 है0 किस्म चाही उत्तम एवं रकबा 0.03 है0 किस्म जाव उत्तम तथा ख0नं0 1244 रकबा 0.20 किस्म चाही उत्तम खातेदारी कृषि भूमि मे गैरसायलान कैलाश चन्द पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण अशोक कुमार पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण शिवचरण पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण भोलाराम पुत्र बदरी जाति मीना निवासीयान ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा आराजी ख0नं0 1243/0.16 में से रकबा 0.02 तथा ख0नं0 1244/0.20 में से रकबा 0.02 हैक्ट0 भूमि में दुकान निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपानन्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया । गैर सायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नही पाया गया।

अतः कैलाश चन्द पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण अशोक कुमार पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण शिवचरण पुत्र बालासहाय जाति ब्राहमण भोलाराम पुत्र बदरी जाति मीना निवासीयान ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा आराजी ख0नं0 1243/0.16 में से रकबा 0.02 तथा ख0नं0 1244/0.20 में से रकबा 0.02 हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकान निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

अधिनियम 1955 की धारा 91 ए सपठित धारा 90 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 0.70 रुपये का पचास गुणा राशि 35.00/- रुपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। चूंकि गैरसायलान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 18.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल मीणा)
तहसीलदार राजगढ़
राजगढ़ (अलवर)

न. न. प्र. 4 सं. 2021-22
के पृष्ठ संख्या 1 ही पत्र, फीस 35/-
रुपये वसूल किए गए।

ह. प्र. लेखाकार